From - Dr Arun Kumar
Reader
Deptt of Sociology
Shershah College
SASARAM
5/5/2020

BA Part - II
Paper - II
Indian Society and Culture
(समाजशास्त्र)

## बिहार पंचायत राज —

उपर्युक्त संविधान के आलोक मे पूर्व पंचायत राज अधिनियमो को निरस्त करते हुए बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 बनाया गया इसमे 73वे संविधान के सारे प्रावधान शामिल किये गये। इन प्रावधानो के अलावे इस अधिनियम मे ग्राम कचहरी की अवधारणा को सम्मिलित किया गया, साथ ही आरक्षण मे महिलाओं एवम् अनुसूचित जाति एवम् अनुसूचित जनजाति के साथ साथ पिछड़े वर्गों की जातियो के लिए भी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसके विरोध मे माननीय पटना उच्च न्यायालय के समक्ष कई रिट याचिकाएं दायर की गई इन याचिकाओ का निपटारण करते हुए माननीय पटना उच्च न्यायालय की युगल पीठ ने मुख्य रूप से कुल आरक्षण का पचास प्रतिशत से अधिक नही करने तथा मुखिया, सरपंच प्रमुख, और अध्यक्ष का पद एकल मानकर इसके आरक्षण पर रोक लगा दिया इसके साथ ही ग्राम कचहरी के प्रावधान को असंवैधानिक बताते हुए सरपंच एवं पंच के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने और उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था कराने पर बल दिया। माननीय पटना उच्च न्यायालय के इस आदेश के आलोक मे राज्य सरकार ने विवादित बिन्दुओ को छोड़कर राज्य निर्वाचन आयोग से 2001 मे पंचायत चुनाव कराने का अनुरोध किया, इस चुनाव मे लगभग 1,37000 पंचायत प्रतिनिधि निर्वाचित हुए।

कार्यरत पंचायत राज का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व 2005 मे राज्य सरकार पंचायत राज को पूर्ण रूप से प्रभावी ढंग से कार्यरत करने का महिलाओं को सभी स्तरो एवं स्थानो पर 50% आरक्षण देने और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को सभी स्थानो एवं सभी स्तरो पर — अधिकतम 20% का आरक्षण देकर इन संस्थाओं को और शक्तिशाली बनाने का निर्णय लिया। कुल आरक्षण 50% से अधिक रखना भी तय किया गया, इस प्रकार पुराने अधिनियम को निरस्त करते हुए बिहार पंचायत राज अध्यादेश 2006 बना, जिसे बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के रूप मे लागू किया गया। इसमे उपयुक्त सभी बिन्दुओ के साथ ही ग्रामीण न्याय व्यवस्था ग्राम कचहरी, के रूप मे वर्णित आरक्षण को — दायरे मे रखकर समाहित किया गया।

बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायत राज के त्रिस्तरीय संस्थानो का स्वरूप कुछ इस प्रकार उभरता है।

**ग्राम सभा** — ग्राम सभा पंचायत राज की मूल संस्था है पंचायत राज की अन्य संस्थाये (ग्राम कचहरी) पंचायत समिति एवं जिला परिषद जनता के प्रतिनिधियो वाली संस्थाए है। परन्तु ग्राम सभा स्वयं जनता की सभा है।

ग्राम सभा के कार्य - ग्राम पंचायत के सालाना लेखा जोखा के बारे मे
(1)
(2) पिछले वित्तीय वर्ष की प्रशासनिक रिपोर्ट के बारे मे
(3) आंकेक्षण प्रतिवेदन एवम् उनकी समीक्षा।
(4) अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट के बारे मे
(5) पिछले वित्तीय वर्ष के विकास कार्यक्रम की समीक्षा
(6) चालू वित्तीय वर्ष के विकास कार्यक्रम की समीक्षा

7 - निगरानी समिति की रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा।

इसके अलावा ग्राम सभा का निम्न उत्तरदायित्व है

(1) ग्राम स्तर पर किये जाने वाले विकास के कार्यों में सहायता करना

2 ग्राम स्तर पर किये जाने वाले विकास के कार्यों की योजनाओं को प्रस्तावित एवं पारित करना।

3 कार्यों का प्राथमिकता करना।

4 कल्याण एवं विकास कार्यक्रमों के लिए लाभार्थियों की पहचान करना।

5 - विकास योजनाओं को चलाने में मदद करना

6 सामुदायिक कल्याण कार्यों के लिए नकद अथवा अनाज या दोनों देकर मदद करना।

7 श्रमदान करके सहयोग देना।

8. निगरानी समिति या समितियों का गठन करना।

ग्राम सभा की दो प्रमुख भूमिकाएं हैं — ग्राम - पंचायतों के कार्यकलापों पर कड़ी नजर रखना। यह काम ग्राम सभा दो तरह से करने में सक्षम है

(क) निगरानी समीतियों का गठन करके तथा

(ख) ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत के कार्यों की समीक्षा करके। परन्तु इसके लिए ग्राम सभा के सदस्यों का जागरूक होना या ग्राम सभा की बैठकों में उनकी सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

2) ग्राम पंचायतों के कार्य कलापों को पूरा करने में सहायक होना। यह काम ग्राम पंचायत तीन तरह से कर सकने में सक्षम है :-

(क) श्रमदान करके

(ख) अनुदान द्वारा

(ग) सलाह देकर -

ग्राम पंचायत :- (1) ग्राम पंचायत को ग्राम सभा से इस प्रकार देखना कई प्रकार से आवश्यक है। पहला अधिनियम में ग्राम की परिभाषा से पैदा हुए भ्रम को दूर करने के लिए दूसरा - कि भौगोलिक विषमताओं के कारण एक राजस्व गाँव में कई ग्राम पंचायतों का होना,

2- ग्राम पंचायत की संरचना ~~सीधे~~ चुनकर आये मुखिया निर्वाचित सदस्य एवं उनके द्वारा अपने में से एक को चुने उपमुखिया को मिलकर बनती है। इसकी अवधि पाँच साल की होती है

ग्राम पंचायत को दिए जाने वाले सभी कार्य संविधान की 11वी अनुसूची मे अंकित है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के माध्यम से राज्य सरकार ने लगभग सभी कार्य पंचायतो को सुपुर्द कर दिए है। इनमे से कुछ प्रमुख कार्य निम्नवत है।

(1) पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना बनाना। वार्षिक बजट बनाना।

प्राकृतिक संकट मे सहायता कार्य करना।
स्वैच्छिक सम्पत्ति से अतिक्रमण हटाना।
गाँवो के आवश्यक आकड़ो को तैयार करना -

इन कार्यो के प्रभावी ढंग से करने के लिए ग्राम पंचायत को छह प्रकार स्थायी समितियो बनाना आवश्यक है

(1) योजना समन्वय एवं समिति

(2) उत्पादन समिति
(3) सामाजिक न्याय समिति
(4) शिक्षा समिति
(5) लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण समिति
(6) लोक निर्माण समिति

इस समिति को ग्रामीण, आवास, जलापूर्ति आवागमन के माध्यम, ग्रामीण विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्य के निर्माण एवं रख रखाव सम्बन्धी कार्यो को सम्पादित करने का प्रावधान है।

ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष चुनाव से होता है। मृत्यु त्याग पत्र अयोग्यता पदच्युति अथवा किसी अन्य कारणो से मुखिया का पद रिक्त हो जाने पर छह महीने के अंदर उक्त पद हेतु निर्वाचन कराना आवश्यक है।

मुखिया ग्राम पंचायत का प्रधान होने के हैसियत से निम्नलिखित के लिए जवाबदेह होता →

ग्रामसभा का आयोजन एवं उसकी अध्यक्षता करना।
ग्राम पंचायत की बैठक का समयानुसार आयोजन एवं अध्यक्षता करना।
ग्राम पंचायतो के अभिलेखो की जवाबदेही लेना।
वित्तीय एवम् प्रशासनिक उत्तरदायित्व निभाना।
कर्मचारियो, पदाधिकारियो एवं अन्य पर अप्रशासनिक नियन्त्रण एवं देखरेख करना।

→ (4)

दिए गए कार्यों को करने एवं कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करना।

ऐसे अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जो ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित हों

उपमुखिया ऐसे शक्तियों का प्रयोग कार्यों का निष्पादन एवम् कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जिसे मुखिया ने उसे लिखित रूप से सौंपा हो। मुखिया के अनुपस्थिति में उपमुखिया उसकी सभी कार्यों का निष्पादन एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेगा किन्तु मुखिया के आते ही उसे उसकी शक्तियां वापस हो जाएगी।

**पंचायत समिति** – पंचायत समिति एक मध्यवर्ती स्तर की पंचायत है इसका गठन उस राज्य में नहीं किया जाएगा जिसकी जनसंख्या बीस लाख से कम है अर्थात पंचायत समिति बड़ी जनसंख्या वाले राज्यों में ग्राम पंचायत एवम् जिला परिषद की बीच की कड़ी के रूप में स्थित है

पंचायत समिति की संरचना इसके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनकर आये सदस्यों, जिसके अंतर्गत लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्य इसके क्षेत्र के अंदर पंजीकृत राज्यसभा एवम् विधान परिषद के सदस्य तथा इस प्रखंड के सभी ग्राम पंचायतों की मुखिया से होती है।

**जिला-परिषद** – जिला परिषद राज्य की जिला स्तरीय संस्था है, एक ओर पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों की श्रेष्ठ संस्था के रूप में कार्य करती है तथा दूसरी ओर केन्द्र तथा राज्य सरकारों के लिए सम्पर्क संस्था की भूमिका निभाती है।

अतः किसी भी जिले की पंचायत राज व्यवस्था वहाँ की जिला परिषद का सक्रिय एवम् सुदृढ़ रहना आवश्यक है। इसके अलावा उस जिले की सारी योजनाएं का निरूपण भी जिला परिषद की जिला परिषद की देखरेख में होता है। क्योंकि जिला परिषद का अध्यक्ष ही जिला योजना समिति का अध्यक्ष होता है — जिला परिषद की अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहना उस जिले की पंचायत राज व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है।

**ग्राम कचहरी** – ग्राम कचहरी की स्थापना का प्रावधान बिहार पंचायत राज अधिनियम 1947 में ही किया गया जिसे 1948 में लागू किया गया, पूरे देश के ग्राम पंचायत के साथ ग्राम कचहरी को जोड़कर पंचायत राज व्यवस्था को खड़ा करते –

→ 5

का काम केवल बिहार मे ही किया गया। बिहार सरकार ने जनता को बिना खर्च किया न्याय दिलाने का यह प्रभावशाली कदम उठाया है।

प्रत्येक ग्राम पंचायत मे एक ग्राम कचहरी की स्थापना की गई है इस व्यवस्था मे नीचे निर्वाचित क्षेत्रो के पंच सीधे चुने जाते है। इनकी अवधि पाँच वर्षो की होती है।

प्रत्येक ग्राम कचहरी मे एक सचिव तथा एक न्याय मित्र की नियुक्ति नियमानुसार होगी।

सरपंच ग्राम कचहरी और उसकी पीठो की अध्यक्षता करते है परन्तु उनकी प्रमुख भूमिका पक्षकारो के बीच मेल-मिलाप सुलह समझौते की चेष्टा सफल न होने पर मामले की सुनवाई के लिए पीठ का गठन होता है जिसकी प्रक्रिया इस प्रकार है -

मामलो के पक्षकारो द्वारा मनोनीत ग्राम कचहरी के पंचो मे से दो पंच सरपंच द्वारा विहित तरीके से चुने गए दो अन्य पंच,

इस तरह से गठित न्यायपीठ की अध्यक्षता स्वय सरपंच करेगे। ग्राम कचहरी नीचे दिए गए मामलो की सुनवाई नही करेगी।

(1) किसी अन्य न्यायालय मे लम्बित मामला।

(2) चुराई गई सम्पत्ति का मूल्य अगर दस हजार रुपये से अधिक हो।

(3) मामले मे फसे पक्ष को अगर तीन साल से अधिक का कारावास किसी अन्य अभियोग मे मिल चुका हो।

5 - अगर को पक्ष सद्व्यवहार के लिए करारबद्ध किया गया हो स्वम् ऐसे मामले जिससे ग्राम पंचायत के मुखिया या उप मुखिया या सदस्य या सरपंच या पंच के विरुद्ध शिकायत की गई हो

6 लगान की वसूली

7 गैरकानूनी ढंग से सम्पत्ति को हथियाने का मामला।

8 - जानवरो द्वारा फसलो को चरने से नुकसान

9 - बटवारे का मामला जिसमे काश्तकारी देव बेचना हो

ग्राम कचहरी या उसकी न्याय पीठ को कार्यवाहियो या अभिलेखो का निरीक्षण करने का अधिकार जिला न्यायाधीश या उसके द्वारा निर्देशित अन्य न्यायिक पदाधिकारी को है।

ग्राम कचहरी की भूमिका पंचायत की सबसे पुरानी पहचान से जुड़ी है। पंचायत की शुरुआत की पंचायती अर्थात विवाद के फैसले से है। यह निशुल्क तत्काल सामने होने वाला न्याय है। पक्षों के हितों का ध्यान रखते हुए उनके करने का प्रयास।

पंचायत में मानव सम्बन्धी कार्य

- स्कूल
- अस्पताल
- तालाब
- एक एकड़ से भूमि वाले परिवार - विवरण
- एक एकड़ से कम भूमि वाले परिवार विवरण
- भूमिहीन परिवारों की संख्या
- खेती में काम करने वाले मजदूरों की संख्या
- सिंचाई की पद्धति
- बुजुर्ग लोगों की संख्या (65 वर्ष से अधिक आयु वाले
- पढ़े लिखे पुरुषों की संख्या
- बेरोजगार नौजवान युवक युवतियों की संख्या
- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या
- असहाय बूढ़े - बुढ़ियों की सूची
- कारीगरों की संख्या
- पंचायत से बाहर जाकर कमाने वालों की संख्या
- फ्रीडम फाइटर

पंचायत में भौतिक संसाधन सम्बन्धी आंकड़े जमा करने हेतु फार्म -

- खेती के योग्य परती भूमि
- अवकाशीय
- मिट्टी की संरचना
- खेती की सघनता
- फसलों की किस्में
- सिंचाई की सुविधा -
- खनिज संसाधन - (वस्तु)
- फसलवार उत्पादन

ग्राम उद्योग :-

(क) कुटीर उद्योग -
हस्त कला आधारित उद्योग
बुनियादी सुविधाएँ :-

(क) सड़क (ख) बिजली (ग) सामुदायिक भवन
- सस्थागत सुविधाएं

(क) स्वास्थ (ख) शिक्षा (ग) सफाई (घ) पीने का पानी (च) बैंक

- निकटतम कस्बा या शहर
- यातायात की सुविधा - (क) रेल (ख) बस (ग) नाव

From - (Dr ARUN KUMAR)
Reader
Dept of Sociology
Shershah College
SASARAM.